चुनाव अधिकारी
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ, बीकानेर
संशोधित विधान एवं नियमावली 2015

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

पल्लवी शर्मा
महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ, बीकानेर

संशोधित विधान एवं नियमावली 2015

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम " श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ, बीकानेर" होगा।

2. **रजिस्ट्रीकृत कार्यालय** : इस संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के बीकानेर जिला, बीकानेर नगर जिसका कि डाकघर बीकानेर है, में रहेगा।

3. **संस्था के उद्देश्य** :

1. पारस्परिक निकटता को अनुभव कर परस्पर सद्भावना एवं मैत्री के भावों को सुदृढ़ करना।
2. समाज के बदलते हुये ढांचे में अपना स्वरूप सुनिश्चित करना।
3. समाज के प्रगतिशील वर्गों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. समाज की युवा एवं महिला जागरण की शक्तियों का समुचित सदुपयोग कर समाज को प्रगति की ओर अग्रसर करना।
5. समाज की युगानुकूल गत्यात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करना।
6. जातिवाद की रूढ़िगत धारणाओं और अन्धविश्वासों को नष्ट करना।
7. दलगत राजनीति से सर्वथा मुक्त रहते हुए समाज के वैचारिक दायरे को बढ़ाना।
8. समाज में धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक चेतना को विकसित करना।
9. अध्ययन- अध्यापन की प्रवृतियों के विकास की समुचित व्यवस्था कर समाज के शैक्षिक व नैतिक धरातल को समुन्नत करना।
10. सामाजिक हित एवं कल्याण के लिये कोष की स्थापना कर उसके माध्यम से समाजोत्थान के लिए प्रयास करना।
11. समाज को राष्ट्रीय पैमानों के अनुरूप सक्षम बनाना।

4. **उद्देश्यपूर्ति** : उद्देश्यपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकार से कार्य किये जायेंगे।

1. पारस्परिक एकता का भावना के व्यावहारिक पक्षों को उभारने के लिये समय-समय पर महापुरूषों की जयन्तियों, सांस्कृतिक समारोहों एवं प्रीतिसम्मेलनों का आयोजन

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामत्रा
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामत्रा
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

महामत्रा
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

करना।

2. सामाजिक रीतियों और प्रथाओं में एक रूपता एवं सुधार लाने का भी प्रयास करना।

3. मूलभूत एकता के मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक रूप से समाजहित के कार्यों का संपादन करने हेतु रचनात्मक शक्ति बढ़ाने वाले कार्यों को हाथ में लेना।

4. समाज के सामने उपस्थित समस्याओं का समाधान मिल -जुल कर वैचारिक आधार पर प्राप्त करने हेतु संगोष्टियों, सम्मेलनों अथवा विचारसभाओं का आयोजन किया जाकर तदनुरूप प्रयास करना।

5. समाज की सांस्कृतिक, कलात्मक, शैक्षणिक लोकहित एवं नागरिकता सम्बन्धी अभिरूचियों को परिष्कृत करने हेतु राष्ट्रीय हित की भावना से रचनात्मक प्रयास करना।

6 छः न्याति ब्राह्मण समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कारिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीके से सुविचारित परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं संस्थाओं का संचालन करना।

5. संगठन : महासंघ का गठन संरक्षक/ स्थाई सदस्यों एवं न्यासियों के अलावा छः न्याति ब्राह्मणों की विधिवत् गठित एवं मान्य इकाईयों, संस्थानों, न्यासों, समितियों (सोसायटीज) एवं तहसीलों / कस्बों के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रति दो वर्ष बाद निर्वाचित करके भेजे गये 11-11 सदस्यों को समाहित करते हुए महासंघ के अध यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष द्वारा सहवरित प्रतिनिधियों से होगा, ये सभी महासमिति के सदस्य कहलायेंगे। यही महासमिति महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव किया करेगी। जो अपनी कार्यकारी परिषद् का निर्माण नियमानुसार करेगा। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

6. कार्यक्षेत्र : 1. महासंघ का कार्यक्षेत्र बीकानेर संभाग होगा पर आवश्यकतानुसार इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य भी किया जा सकेगा।

2. संघ की परिधि में छः न्याति नाम से अभिहित सभी ब्राह्मण जातियों के सदस्य तथा वे जातियाँ आयेंगी, जो पंचगौड़ के अर्न्तगत समबोधित होती है। जिनमें खाण्डल विप्र भी शामिल माने जायेगें।

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामत्रा
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामत्रा
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

पल्लवी शर्मा
महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

7. सदस्यता : महासंघ की सदस्यता व्यक्तिगत एवं संस्थागत दोनों प्रकार की होगी। जो निम्न प्रकार से होगी।

अ) कोई भी छः न्याति/पंचगौड़ ब्राह्मण निर्धारित शुल्क एकमुश्त देकर महासंघ का संरक्षक सदस्य बन सकेगा जो महासमिति का स्थायी सदस्य होगा।

आ) संस्थागत सदस्य :- छः न्याति/पंचगौड़ ब्राह्मणों की कोई भी पाँच वर्ष पुरानी विधिवत गठित एवं मान्य संस्था, न्यास एवं समिति(सोसायटी) निर्धारित शुल्क देकर कार्यसमिति द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन दो वर्ष के लिए महासंघ से सम्बद्धता ले सकेगी और महासमिति में प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचित सदस्य भेज सकेगी। स्थायी सम्बद्धता के लिए उपरोक्त निर्धारित शुल्क की दस गुणा राशि एकमुश्त देय होगी।

इ) न्यासी सदस्य :- नियम 19 (2) के अधीन यदि कोई न्यास गठित किया जाता है तो उस न्यास के "स्थायी न्यासी" भी महासमिति के स्थायी सदस्य होगें। "निर्वाचित न्यासी" अपने निर्वाचन काल के लिए ही सहासमिति के सदस्य माने जायेंगें।

ई) व्यक्तिगत सदस्य :- कोई भी छः न्याति/पंचगौड़ ब्राह्मण निर्धारित शुल्क देकर महासंघ का व्यक्तिगत सदस्य बन सकता है। किसी भी तहसील/कस्बे से 500 व्यक्तिगत सदस्य,महासंघ कार्यसमिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम व्यक्तिगत सदस्य बन जाने पर वहाँ से अधिकतम 11 निर्वाचित सदस्य महासमिति में प्रतिनिधित्व के लिए भेजे जा सकेंगें।

य) सहवरित सदस्य :- उपरोक्त सदस्यों से महासमिति की संरचना हो जाने के बाद यदि कोई कर्मठ कार्यकर्त्ता महासमिति में आने से वंचित रह जाता है तो अपना कार्यकाल समाप्त कर रहे अध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से अधिकतम 21 व्यक्तियों को सहवरित सदस्य बनाया जा सकेगा जो दो वर्ष के लिए महामिति के सम्पूर्ण सदस्य होगें।

(र) <u>निर्धारित शुल्क</u> :- नियम (7) के अधीन विभिन्न प्रकार के सदस्यों के लिए "निर्धारित शुल्क" वह राशि होगी जो समय-समय पर महासंघ की कार्यकारिणी द्वारा धारित एवं लिखित प्रस्ताव द्वारा निर्धारित की जायेगी।

ल) <u>सदस्यता राशि का उपयोग</u> - नियम (7) के अधीन बनाये गये किसी भी सदस्य

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ: न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ: न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

का सदस्यता शुल्क महासंघ द्वारा खर्च नहीं किया जा सकेगा। हमेशा सुरक्षित स्थायी जमा में रहेगा। इस राशि का केवल ब्याज ही खर्च किया जा सकेगा। स्थायी न्यासी/निर्वाचित न्यासियों का शुल्क न्यास डीड में दिये गये उपबन्धों के अनुसार उपयोग किया जायेगा।

8. महासमिति व उसका निर्वाचन : प्रत्येक दो वर्ष के बाद महासंघ की महासमिति का गठन निम्न प्रकार किया जावेगा:-

अ) महासंघ से सम्बद्ध संस्थागत/न्यातिगत इकाइयों द्वारा दो वर्ष के लिए 11-11 प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजे जावेंगें। जो महासमिति सदस्य होंगें।

आ) जिन तहसीलों / कस्बों में महासंघ कार्यसमिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक व्यक्तिगत सदस्य होगें वे भी अधिकतम11-11प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजेंगे। जो दो वर्ष के लिए महासमिति के सदस्य होंगें।

इ) "संरक्षक सदस्य" व "स्थायी न्यासी" महासमिति के स्थायी सदस्य होगें। "निर्वाचित न्यासी" अपने निर्वाचन काल के लिये महासमिति के सदस्य होंगें।

ई) नियम 7(ई) के अधीन सहवरित सदस्य भी महासमिति के सदस्य होंगे। जिनकी अधिकतम संख्या 21 होगी।

उ) उपरौक्तानुसार महासमिति के गठन के पश्चात एक माह के अन्दर महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव एवं कार्यकारी परिषद् का निर्माण आवश्यक होगा।

ऊ) संस्थागत इकाईयों को तब तक महासंघ से समबद्ध नहीं माना जायेगा जब तक कि निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवा दिया जाता।

9. कार्यकारी परिषद : (अ) महासमिति अपने सदस्यों में से महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव करेगी जिसके लिए अपना कार्यकाल पूरा करने वाले अध्यक्ष या महामंत्री द्वारा निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। निर्वाचन अधिकारी एक सुगम एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया का निर्धारण करके निष्पक्ष गुप्त मतदान के जरिये महासंघ के अध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न करवायेगा। नवनिर्वाचित महासंघ का अध्यक्ष तीन दिवस के अन्दर एक महामंत्री व एक कोषाध्यक्ष सहित आवश्यकतानुसार उपाध्यक्ष, सचिवों आदि का महासमिति सदस्यों में से मनोनयन करते हुए अधिकतम 101 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन करेगा। कार्यकारी परिषद का कार्यकाल दो वर्ष का

अध्यक्ष
श्री छ: न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ: न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छ: न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ: न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छ: न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

पल्लवी शर्मा
महामंत्री
श्री छ: न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

होगा। कार्यकारिणी/कार्यकारी परिषद् का कोई पदाधिकारी स्वयं के त्यागपत्र द्वारा अथवा अध्यक्ष के विवेकानुसार हटाया जा सकेगा।

(आ) महासंघ अध्यक्ष के प्रत्याशी को अपने नामांकन आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें निम्न दो घोषणाएँ
होगीं–

1. वह किसी भी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य या पदाधिकारी नहीं है।

2. वह अध्यक्ष निर्वाचित होने पर अपना कार्यकाल पूरा होने तक राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। कोई राजनितिक चुनाव लड़ने या पद लेने से कम से कम छः माह पहले महासंघ अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देगा।

(इ) महासमिति, कार्यसमिति एवं महासंघ अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष होगा। आवश्यकता होने पर महासंघ की महासमिति द्वारा स्वयं का तथा महासंघ अध्यक्ष एवं कार्यसमिति का कार्यकाल एक बार में छः माह के लिए व अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ई) महासंघ अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अधिकतम 15 दिनों की होगी। जिसमें चुनाव घोषणा के बाद 3 दिन नामांकन दाखिल करने के लिए, 2 दिन नाम वापसी के लिए तथा कम से कम 5 दिन चुनाव प्रचार के लिये दिये जाने आवश्यक होंगे।

(उ) अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को कार्यसमिति द्वारा निर्धारित राशि जमानत के रूप में जमा करवानी होगी। जो चुनाव परिणाम के एक दिन बाद वापस दे दी जायेगी। यदि किसी प्रत्याशी को कुल मतदान के 15 प्रतिशत से कम मत मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त करके महासंघ के खाते में जमा करवा दी जायेगी।

10. कोष : संघ के कार्य संचालन तथा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था अधोलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :–

1. न्यातिगत इकाईयों से प्राप्त धनः

2. प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाला धन एवं

3. विशेष चंदा।

4. महासंघ द्वारा संचालित योजनाओं , संस्थाओं एवं परियोजनाओं से प्राप्त धन

5. विभिन्न प्रकार के सदस्यों एवं न्यासियों से प्राप्त धन तथा स्थायी जमा में रखी गयी सदस्यता राशि का ब्याज

6. अन्य कोई आय जो कार्यकारिणी प्रस्ताव द्वारा निर्धारित एवं अर्जित हो।

11. अधिवेशन : न्याति संगठनों के कुल नियमित सदस्यों और उनसे सम्बद्ध कुल जाति महानुभावों का एक वृहद् वार्षिक अधिवेशन आमत्रिंत किया जायेगा। इस अधिवेशन में आगामी वर्ष के लिए महासमिति के गठन उसके कार्यक्रम विगत वर्ष के कार्य की समीक्षा, दिशानिर्देश व न्याति संगठनों के प्रतिनिधियों (नये प्रतिनिधियों) के नामों की धोषणा की जायेगी।

12. महासमिति का वार्षिक अधिवेशन :

संघ के वृहद अधिवेशन से पूर्व महासमिति अपने अधिवेशन में विगत वर्ष के कार्य का प्रतिवेदन, हिसाब तथा आगामी वर्ष के लिये कार्यक्रम तथा आय–व्यय अनुमानपत्र पारित करेगी। महासमिति द्वारा पारित प्रतिवेदन और हिसाब की जानकारी वृहद् अधिवेशन में प्रस्तुत की जावेगी।

13. साधारण बैठकें : महासमिति तथा कार्यकारी परिषद की साधारण तथा विशेष बैठकें कार्यक्रम की कार्यान्विति की दृष्टि से आवश्यक कालावधि में हुआ करेगी, पर प्रतिवर्ष महासमिति की एक व कार्यकारी परिषद् की तीन बैठकें करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में पदाधिकारियों का मतैव्य आधार होगा।

14. कोरम : महासमिति तथा कार्यकारी परिषद् के अधिवेशनों और बैठकों का कोरम साधारणतः तृतियांश होगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में विधि अनुसार उनके अनुरूप होगा पर दो तिहाई से कम नहीं होगा।

15. कार्य प्रणाली :

1. महासमिति के अधिकार – महासमिति संस्था की रीति–नीति निर्धारित किया करेगी और महासंघ की चल–अचल संपति तथा अन्य आय आदि के निर्माण, सुरक्षा व संवर्द्धन आदि के लिये जिम्मेदार होगी।

2. कार्यकारी परिषद् के अधिकार – कार्यकारी परिषद् महासमिति के निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगी। कार्यकारी परिषद विभिन्न प्रवृतियों का संचालन करेगी और आवश्यकतानुसार वैतनिक कार्यकत्ताओं की नियुक्ति व अलहदगी

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

पल्लवी शर्मा
महामत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

करेगी। प्रवतियों के संचालन हेतु एवं अन्य कार्यों के लिये समितियां व उपसमितियां व उनके लिये नियमोपनियम बना सकेगी। आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनमें संशोधन व रद्द कर सकेगी। आवश्यक व्यय की स्वीकृति देगी, धन संग्रह करेगी। तथा महासंघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी प्रस्ताव पारित करके निर्णय ले सकेगी तथा उपनियम आदि बना सकेगी।

3. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :-

अ) अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :- क) संघ के अधिवेशनों में उपस्थित रहकर अध्यक्ष का आसन ग्रहण करना और नियमानुसार कार्य संचालन करना तथा महासंघ का प्रतिनिधित्व करना।

ख) विवादास्पद विषयों का समाधान करना।

ग) कार्य-संचालन के लिये मंत्री को निर्देश देना।

घ) संघ के कोष में से एक बार में 10000 रूपये तक खर्च करने की स्वीकृति दे सकेंगे पर दुबारा स्वीकृति देने से पहले पूर्व व्यय की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस राशि क्षमता को कार्यकारिणी के निर्णय से बढ़ाया जा सकता है

ङ) संघ से सम्बधित सब विषयों, वस्तुओं तथा संस्थाओं की जाँच करने के निमित्त तथा इसके प्रचारकर्त्ता के लिये भिन्न-भिन्न स्थानों का दौरा करना।

च) समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर अपना अन्तिम निर्णय देना।

ब) उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :- क) अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग देना।

ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य संचालन करना।

स) सचिव के अधिकार व कर्त्तव्य :- क) संघ की कार्यवाही का पूरा -पूरा अभिलेख रखना तथा महासचिव व सम्बधित पदाधिकारियों व सदस्यों को समुचित सलाह देना, जिससे कि संघ का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न होता रहे।

ख) संघ के पत्र व लेखों की रक्षा करना।

ग) संघ के अधिवेशनों में उपस्थित रहकर संयोजन का कार्य करना।

घ) संघ के अन्य कार्यों का संचालन करना।

ङ) संघ की ओर से पत्र व्यवहार करना।

अध्यक्ष
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

पल्लवी शर्मा
महामंत्री
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

च) अध्यक्ष की अनुमति से सभाओं का आयोजन करना।

छ) आय–व्यय का पूरा निरीक्षण करना और प्रतिवर्ष आय–व्यय निरीक्षक के हस्ताक्षर लेना।

द) सहसचिव के अधिकार व कर्त्तव्य :– क) सचिव के कार्यो में सहयोग देना।

ख) सचिव की अनुपस्थिति में कार्य संचालन करना।

ई) कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :– क) आय व्यय का पूरा हिसाब व वाउचर रखना।

ख) प्रतिवर्ष आय व्यय निरीक्षक के हिसाब का निरीक्षण करना।

ग) संस्था में आने वाली राशि को बैंक में सुरक्षित रखना व कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकृत राशि आकस्मिक व्यय हेतु अपने पास सुरक्षित रखना।

घ) कार्यकारी परिषद् द्वारा अध्यक्ष व सचिव को दिये गये अधिकारों के अनुरूप उनके द्वारा स्वीकृत बिलों व व्यय का चुकारा करना।

उ) कार्यालय मंत्री के अधिकार :– महासंघ के लिए कार्यालय संबंधी समस्त कार्य महासचिव के निर्देशन में सम्पादित करना।

ऊ) संगठन मंत्री के अधिकार :– संगठन को मजबूत बनाने हेतु रचनात्मक कार्य करना।

ए) प्रचार मंत्री के अधिकार :– महासंघ की गतिविधियों एवं उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार करना।

16. महासंघ कोष :–

महासंघ का समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त तथा परिगणित अधिकोष (शिड्यूल्ड बैंक) में रखा जायेगा। जिसका हिसाब 1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. कोषाध्यक्ष, तीनों के संयुक्त नामों से खोला जायेगा तथा इनमें से कोई दो के नामों से महासंघ के कार्यार्थ धन निकाला जा सकेगा।

17. ओडिट :– संस्था के हिसाब की जांच प्रतिवर्ष कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त आय व्यय निरीक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जायेगी और उसकी रिपोर्ट कार्यकारी परिषद व महासमिति में प्रस्तुत की जायेगी।

अध्यक्ष
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ:न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

18. सम्बद्ध संस्थाऐं :–

जिन मान्य ईकाईयों के प्रतिनिधियों से संघ का निर्माण होगा, उन इकाईयों के संगठन संघ की सम्बद्ध सभायें मानी जायेगी और उन्हें संघ की रीति–नीति, नियमों व निर्णयों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर संघ उनकी मान्यता रद्द कर सकेगा। आवश्यक होने पर कार्यकारी परिषद् द्वारा मान्यता देने विषयक सिद्धान्तों अथवा नियमों का निर्माण किया जावेगा।

19. अन्य :–

1. किसी कारण से चुनाव नियत समय तक न हो सके तो पूर्व निर्वाचित समिति नये चुनाव होने तक कार्य संपादन कर सकेगी।

2. आवश्यक होने पर महासमिति संघ के ट्रस्टमंडल का विधिवत् गठन व निर्माण कर सकेगी। जो महासंघ की स्थायी सम्पति व संचालित संस्थाओं के परिरक्षण , परिवर्धन एवं सुरक्षा सम्बन्धी सभी कार्यवाहियाँ कर सकेगा। यह ट्रस्ट महासंघ के अधीन ही कार्य करेगा।

3. जिन संस्थानों पर छः न्याति इकाइयों के लोगों की इकाईयां बनी हुई न हो, वहाँ संघ की तरफ से इकाईयों के निर्माण का प्रयास किया जायेगा और जहाँ इकाईयों के एक से अधिक संगठन होंगें, उनमें आपस में विलीनीकरण ,समन्वय व सामंजस्य स्थापित करने तथा सबका सहयोग लेने का प्रयास किया जायेगा।

4. संघ के उद्देश्यों व कार्यों के प्रचार प्रसार तथा समाजोत्थान के प्रति लोगों में नवजागरण उत्पन्न करने के लिये उपयोगी सांहित्य व पत्रिका प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायेगा।

5. नियमों को लेकर किसी विषय के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने कि अवस्था में उसके बारे में कार्यकारी परिषद् द्वारा जो निर्णय होगा, वह वैद्य समझा जायेगा।

6. न्यातिगत ईकाईयों में महासंघ की महासमिति के लिए प्रतिनिधि भेजने हेतु यदि किसी न्यातिगत ईकाई में किसी प्रकार का विवाद होगा तो ऐसी परिस्थिति में उस ईकाई के प्रतिनिधियों को महासमिति में सम्मिलित करने या नहीं करने का पूर्ण अधिकार महासमिति की निर्वतमान कार्यकारी परिषद को होगा।

7. यदि कार्यकारी परिषद् का कोई भी सदस्य वैधानिक रूप से बुलाई गई लगातार तीन

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

पल्लवी शर्मा

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छ. न्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहेगा, तो कार्यकारी परिषद को निर्धारित अवधि से पूर्व ही कार्यकारी परिषद् से उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार होगा।

8. यदि कोई सदस्य महासंघ के हितों के प्रतिकूल कार्य करेगा, तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार कार्यकारी परिषद् को होगा। इसके लिए आवश्यकता होने पर अनुशासन समिति का गठन भी किया जा सकेगा जो अपनी रिपोर्ट एवं कार्यवाही की सिफारिशें कार्यकारी परिषद को करेगी। इस रिपोर्ट पर कार्यकारी परिषद् बहुमत से निर्णय कर सकेगी।

20. विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुसार महासमिति की विशेष बैठक बुलाई जाकर उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मतों से किया जा सकेगा।

21. संपत्ति का उपयोग :–

किसी कारण से संस्था कार्य करने की स्थिति में न रहे तो उसकी चल अचल संपति तथा अन्य आय संस्था के सदस्यों में वितरित न होकर समान उदेश्यों वाली संस्था में हस्तान्तरित हो जायेगी अथवा राजकीय सम्पति मानी जायेगी और विद्यटन संबंधी कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

****

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

पल्लवी शर्मा
महामंत्री
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छः न्याति ब्राह्मण महासघ
बीकानेर